<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

खेम सिंह जोधा बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी, लोहावट)

सू.अ.अ. अपील संख्या : 88 / 2022</th><th>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>23.05.2022</td><td>अपीलार्थी खेम सिंह जोधा निवासी ग्राम / पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.03.2022 में उसके द्वारा (1) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट हेतु वर्ष 2020–21 तक स्वीकृत बजट मदवार की नियमानुसार प्रमाणित प्रति (2) उपखण्ड अधिकारी, लोहावट की माह माह मार्च 2020 की रोकड़ बही की नियमानुसार प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लोहावट) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लोहावट) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लोहावट) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लोहावट) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:47:23 IST
Reason: SelfAttested